



किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय) भोपाल (म.प्र.) विभागीय योजनाओ अंतर्गत पाईप लाईन सेट हेतु आवेदन



आवेदक का विवरण

आवेदन क्रमांक : Reg/2023/2478705	आवेदन दिनांक एवं समय : 30 Dec 2023 18:28	
नाम : Premnarayan	आधार नंबर : XXXXXXXX3158	
जेंडर : Male	जन्म तिथि : 01 Jan 1997	
जिला : देवास	विकास खंड/ग्राम : कन्नोद / सीरसोदिया	
कृषक वर्ग/श्रेणी : सामान्य/अन्य (2 हें से अधिक भूमि)	मोबाइल न. : XXXXXX8470	
पता (आधार कार्ड अनुसार) : Vilege sirsodiya SirsodiyaKannod Dewas Madhya Pradesh India		

नोट:- यह पंजीयन योजना अंतर्गत केवल आवेदन का पंजीयन है। लक्ष्य अनुसार आवेदनों की प्रथमिकता कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से निर्धारित की जावेगी। लॉटरी से निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार ही अनुदान की पात्रता होगी। लॉटरी द्वारा निर्धारित प्राथमिकता सूची पोर्टल पर निर्धारित तिथि को देखी जा सकेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश

- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होंगे।
- क्रय स्वीकृति उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा।
- लॉटरी में चयन उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु आपके जिले के पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र/सामग्री डीलरों से संपर्क करें।
- लॉटरी के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा डीलर चयन कर आवेदन अग्रेषित करना होगा।
जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
- कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
- क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
- कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब उसका आवेदन लॉटरी अंतर्गत चयन सूची में आया होगा तथा वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्तें पोर्टल पर दी गई हैं।
- लॉटरी अंतर्गत लक्ष्य अनुसार चयन होने पर डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
- सामग्री क्रय करने के पूर्व डीलर बदलने की सुविधा प्रत्येक डीलर के लॉगिन में उपलब्ध कराई गयी है। कृषक इस सुविधा का उपयोग केवल एक बार सामग्री का क्रय करने के पहले कर सकते हैं।
- योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते हैं तो आपको अनुदान नहीं दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रत्येक जमा कराई गयी राशि हेतु डीलर को अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाना अनिवार्य होगा।
- डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तों की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होता अनिवार्य है।

धरोहर राशि के संबंध में दिशा निर्देश :-

- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चिह्नित कृषि यंत्रों में अनुदान के आवेदन हेतु धरोहर राशि का ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है एवं भुगतान सुनिश्चित होने पर आवेदन उपरांत ही आवेदक लॉटरी हेतु पात्र होगा।
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नहीं होगी।
- पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात् ही रिफंड की जावेगी एवं इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों की धरोहर राशि लॉटरी दिनांक उपरांत तत्काल रिफंड की जावेगी।
- प्रतीक्षा सूची के कृषकों को संचालनालय द्वारा निर्धारित समयावधि उपरांत रिफंड की कार्यवाही की जावेगी।
- ऐसे आवेदक जो लॉटरी में चयनित है किंतु इनके द्वारा कृषि यंत्र क्रय की कार्यवाही नहीं की जाती है इस स्थिति में संबंधित आवेदक की धरोहर राशि के संबंध में संचालनालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

घोषणा:- मैं घोषणा करता हूँ कि विगत 7 वर्षों से मैंने किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत यंत्र (पाईप लाईन सेट) हेतु अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मेरे द्वारा इस अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रदान की गई जानकारी किसी भी स्तर पर यदि असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जावे एवं मैं अनुदान का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहूँगा।



किसान कॉल सेंटर

कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु
1551 or 1800 180 1551
पर संपर्क करें

कृषियंत्रअनुदान सहायता केंद्र

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी :

dbtsupport@crispindia.com(कृषि यंत्रों के लिए)

dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रों के लिए)

Website - <https://dbt.mpdage.org/>

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास